प्रेस नोट दिनांक 18.10.2026 जनपद प्रतापगढ़

थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़

थाना कुण्डा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-77/2026 धारा 137(2)/87 बीएनएस से सम्बन्धित नामजद अभियुक्त गिरफ्तार।

थाना कुण्डा पुलिस द्वारा बहला-फुसलाकर ले जाने एवं विवाह हेतु विवश करने के प्रकरण में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में जनपद में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कुण्डा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-77/2026 धारा 137(2)/87 बीएनएस से सम्बन्धित नामजद अभियुक्त साहिल पटेल पुत्र राकेश पटेल निवासी ग्राम अचकवापुर, थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 18 वर्ष को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-
दिनांक 18.10.2026 को उ0नि0 चरन सिंह मय हमराह का0 अजीत कुमार यादव क्षेत्र में देखभाल, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन एवं वांछित अभियुक्तों की तलाश में मामूर थे। इसी दौरान मुखबिर खास से सूचना प्राप्त हुई कि मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित नामजद अभियुक्त साहिल पटेल ताजपुर चौराहे के पास वाहन का इंतजार कर रहा है। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुँची तथा मुखबिर द्वारा अभियुक्त की पहचान कराए जाने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -
साहिल पटेल पुत्र राकेश पटेल निवासी ग्राम अचकवापुर, थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 18 वर्ष।

पुलिस टीम-
उ0नि0 चरन सिंह, थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़।
का0 अजीत कुमार यादव, थाना कुण्डा, जनपद प्रतापगढ़।

थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़

थाना फतनपुर पुलिस द्वारा पत्नी की हत्या कर साक्ष्य छिपाने के मामले का अनावरण, नामजद अभियुक्त गिरफ्तार।

अभियुक्त की निशानदेही पर आला कत्ल खूनालूदा पत्थर, मृतका का मोबाइल फोन एवं अभियुक्त का मोबाइल फोन बरामद।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री आलोक कुमार एवं क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री प्रशांत राज के पर्यवेक्षण में थाना फतनपुर पुलिस द्वारा पत्नी की हत्या कर साक्ष्य छिपाने के मामले में नामजद अभियुक्त अजय यादव को गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनांक 17.10.2026 को वादी, निवासी ग्राम बभनियांव, थाना मीरगंज, जनपद जौनपुर द्वारा थाना फतनपुर पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि उनकी बहन की हत्या कर फर्श पर पड़े खून को साफ कर घटना छिपाने का प्रयास किया गया है। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना फतनपुर पर मु0अ0सं0 256/2026, धारा 103(1)/238 बीएनएस बनाम अजय यादव पुत्र भगवानदीन यादव, निवासी ग्राम पटहटिया कला, थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़ के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया।
गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक 17.10.2026 को थानाध्यक्ष मनोज कुमार तोमर मय पुलिस टीम क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की चेकिंग तथा वांछित अभियुक्तों की तलाश में मामूर थे। इसी दौरान मुखबिर खास की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त अजय यादव रोहखुर्द कला विकरामपुर गौशाला मोडे से गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्त अजय यादव ने पूछताछ में बताया कि उसकी पत्नी प्रत्येक बात पर रोक-टोक करती थी। दिनांक 16/17.10.2026 की रात मेडिकल स्टोर बंद करके घर आने के बाद पारिवारिक बातों को लेकर पत्नी से विवाद हो गया, जिस पर गुस्से में उसने कमरे में रखे पत्थर से पत्नी के सिर पर वार कर दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। अभियुक्त ने बताया कि घटना के बाद उसने खून छिपाने के उद्देश्य से फर्श पर पड़े खून को कपड़े के पायदान से साफ करने का प्रयास किया। इसके बाद आला कत्ल पत्थर तथा अपने एवं अपनी पत्नी के मोबाइल फोन घर के पीछे अहाते में स्थित पानी रहित कुएँ में डाल दिए। अभियुक्त ने अपने परिजनों को गुमराह करने के लिए चार नकाबपोश व्यक्तियों द्वारा घर में आकर पत्नी की हत्या करने तथा ₹90,000/- ले जाने की बात भी बताई थी।

बरामदगी का विवरण- अभियुक्त की निशानदेही पर उसके घर के अहाते में स्थित पानी रहित कुएँ से एक खून एवं बाल लगे पत्थर का टुकड़ा (आला कत्ल), एक रियलमी मोबाइल फोन, जो मृतका का बताया गया, तथा एक सैमसंग मोबाइल फोन, जो अभियुक्त का बताया गया, बरामद किया गया। इसके अतिरिक्त अभियुक्त की जामा तलाशी से ₹720/- नकद बरामद हुए। बरामद मोबाइल फोन एवं आला कत्ल पत्थर को अलग-अलग सील किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1-अजय यादव पुत्र भगवानदीन यादव, निवासी ग्राम पटहटिया कला, थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 46 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-
एक अदद खून एवं बाल लगा पत्थर का टुकड़ा (आला कत्ल)।
एक अदद रियलमी मोबाइल फोन (मृतका का बताया गया)।
एक अदद सैमसंग मोबाइल फोन (अभियुक्त का बताया गया)।
जामा तलाशी से ₹720/- नकद।

पुलिस टीम का विवरण-
थानाध्यक्ष मनोज कुमार तोमर मय हमराह का0 अभिषेक सिंह, का0 रुद्रांश चौबे, रि0म0का0 आयुषी मिश्रा, रि0म0आ0 आरुषि यादव एवं सरकारी वाहन चालक एचसीपी सुरेन्द्र सिंह थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़

थाना पट्टी पुलिस द्वारा न्यायालय से जारी वारंट से सम्बन्धित 01 नफर वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों एवं वारंटियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना पट्टी पुलिस द्वारा मा० न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़, कक्ष संख्या-23 से जारी वारंट से सम्बन्धित 01 नफर वारंटी अभियुक्त फारूख अली पुत्र अजीम उल्लाह, उम्र करीब 44 वर्ष, निवासी पट्टी खास, थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-
दिनांक 18.10.2026 को उ0नि0 प्रशांत कटियार मय हमराह का0 सोनू कुमार द्वारा मा० न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़, कक्ष संख्या-23 के मुकदमा संख्या 5785/2024, सम्बन्धित अ0सं0 23/2024, धारा 420/406/504 भा०दं०वि०, थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ से सम्बन्धित वारंटी अभियुक्त फारूख अली की तलाश में उसके घर दबिश दी गई। अभियुक्त घर के बाहर मौजूद मिला, जिसे हिरासत पुलिस में लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
फारूख अली पुत्र अजीम उल्लाह, उम्र करीब 44 वर्ष, निवासी पट्टी खास, थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-
उ0नि0 प्रशांत कटियार, थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़।

का0 सोनू कुमार, थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़।

थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़

थाना सांगीपुर पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय से जारी गैर-जमानतीय वारंट से संबंधित 01 नफर वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों एवं वारंटियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना सांगीपुर पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय सिविल जज (जू०डि०), कक्ष संख्या-20 से जारी गैर-जमानतीय वारंट से संबंधित वारंटी अभियुक्त यशवन्त सिंह पुत्र रामदुलारे सिंह, निवासी ग्राम पूरे पयाग, मजरे देउम पश्चिम, थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 55 वर्ष को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-
दिनांक 18.10.2026 को उ0नि0 हरिन्द्र कुमार यादव मय हमराह रि0का0 अरविन्द कुमार गोड़ एवं रि0का0 अमित कुमार द्वारा वांछित वारंटियों की गिरफ्तारी एवं चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन के क्रम में वारंटी अभियुक्त यशवन्त सिंह के घर दबिश दी गई। अभियुक्त घर पर मौजूद मिला। उसे माननीय न्यायालय सिविल जज (जू०डि०), कक्ष संख्या-20 द्वारा जारी गैर-जमानतीय वारंट, पुराना क्रिमिनल केस संख्या 2084/2016, क्राइम संख्या 304/2013, थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़ के संबंध में हिरासत पुलिस में लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
यशवन्त सिंह पुत्र रामदुलारे सिंह, निवासी ग्राम पूरे पयाग, मजरे देउम पश्चिम, थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 55 वर्ष।

पुलिस टीम-
उ0नि0 हरिन्द्र कुमार यादव, थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़।
रि0का0 अरविन्द कुमार गोड़, थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़।
रि0का0 अमित कुमार, थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़

थाना पट्टी पुलिस द्वारा चोरी की गई TVS XL विक्की बरामद कर 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना पट्टी पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 429/2026 धारा 303(2) बीएनएस से संबंधित चोरी की गई TVS XL विक्की (रजिस्ट्रेशन नं0 UP 72 BQ 1280) बरामद करते हुए 01 अभियुक्त दिलेराम पुत्र मैकूलाल, निवासी ग्राम मनिकापुर, थाना रामपुर मथुरा, जनपद सीतापुर, उम्र करीब 30 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर मुकदमे में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई।

घटना एवं गिरफ्तारी का विवरण-
वादी रमेश मिश्र निवासी ग्राम उडैयाडीह, थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा सूचना दी गई कि दिनांक 16.10.2026 को हनुमान मंदिर, नहर चौराहा, उडैयाडीह के पास दुकान के सामने खड़ी उनकी TVS XL विक्की अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर ली गई। इस संबंध में थाना पट्टी पर मु0अ0सं0 429/2026 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

दिनांक 18.10.2026 को उ0नि0 मनोज कुमार पाण्डेय मय हमराह का0 विवेक यादव, का0 अमित यादव एवं का0 गोविन्द द्वारा चोरी की गई विक्की की तलाश की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर बीबीपुर नहर पुलिया से महदहा रोड पर पुलिया से आगे चोरी की गई TVS XL विक्की के साथ खड़े अभियुक्त दिलेराम को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में अभियुक्त ने उक्त विक्की उडैयाडीह से चोरी कर बेचने के लिए ग्राहक का इंतजार करने की बात बताई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
दिलेराम पुत्र मैकूलाल, निवासी ग्राम मनिकापुर, थाना रामपुर मथुरा, जनपद सीतापुर, उम्र करीब 30 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-
01 अदद चोरी की TVS XL विक्की।

पुलिस टीम-
उ0नि0 मनोज कुमार पाण्डेय, थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़।
का0 विवेक यादव, थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़।
का0 अमित यादव, थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़।
का0 गोविन्द, थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़।

थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़

थाना रानीगंज पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास एवं मारपीट के प्रकरण में 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में जनपद में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना रानीगंज पुलिस द्वारा थाना रानीगंज के मु0अ0सं0 507/2026 धारा 109(1), 115(2), 352, 351(3) एवं 191(2) बीएनएस से संबंधित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक 18.10.2026 को थाना रानीगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मंशाराम का पुरवा (सण्डिला) में सुबह हुई मारपीट की घटना के संबंध में पंजीकृत मुकदमे में वांछित अभियुक्तों की तलाश की जा रही थी। इसी दौरान पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त एवं अभियुक्ता को उनके घर से रानीगंज-शाहपुर मार्ग की ओर जाते समय रोककर पूछताछ की गई। पूछताछ में दोनों द्वारा सुबह हुई मारपीट की घटना का उल्लेख किया गया। विवेचना के दौरान अभियुक्ता रीता देवी का नाम प्रकाश में आने पर मुकदमे में धारा 191(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई। तत्पश्चात दोनों वांछित अभियुक्तों को दिनांक 18.10.2026 को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-
1-लाल बहादुर पुत्र गिरधारी यादव, उम्र करीब 76 वर्ष।
2-रीता देवी पत्नी दिनेश कुमार, उम्र करीब 36 वर्ष निवासीगण ग्राम मंशाराम का पुरवा (सण्डिला), थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 राजेश कुमार यादव, उ0नि0 अवधेश यादव, उ0नि0 सुरेन्द्रनाथ यादव, का0 राजू गोंड, का0 योगेन्द्र सिंह, रि0का0 हेमन्त, रि0म0का0 काजल सिंह थाना रानीगंज, जनपद प्रतापगढ़।

थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़

थाना लीलापुर पुलिस द्वारा न्यायालय से जारी वारंट से संबंधित 01 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना लीलापुर पुलिस द्वारा मु0नं0 3965/15, अ0सं0 41/2001, धारा 323/504/506 भादवि से संबंधित वारंटी अभियुक्त रविन्द्र कुमार मिश्र उर्फ बबलू पुत्र अमरनाथ मिश्र, निवासी ग्राम लीलापुर, थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 46 वर्ष को दिनांक 18.10.2026 को उसके घर से गिरफ्तार किया गया।

पुलिस टीम- उ0नि0 सौरभ यादव, हे0का0 अजय यादव एवं का0 अंकित यादव, थाना लीलापुर, जनपद प्रतापगढ़।